मृत्यु दावा निपटान के लिए अपेक्षित कागजात / सूचनाएं - जांच सूची

1) खाताधारक की मृत्यु होने पर तत्काल ही विधिक उत्तराधिकारी/रिश्तेदारों/मित्रों द्वारा संबंधित शाखा/शाखाओं को सूचित किया जाना चाहिए ताकि बैंक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

2) यदि बैंक में दिवंगत के खाते/खातों में वैध नामांकन पंजीकृत है तब नामिती द्वारा दिवंगत ग्राहक का मृत्यु प्रमाणपत्र, पासबुक, सावधि जमा रसीद/रसीदों आदि बैंक में प्रस्तुत कर तथा सरल घोषणा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके शेष राशि का भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। अन्य सभी मामलों में, जहां वैध नामांकन नहीं है, मृत्यु दावे के निपटान के लिए निम्नलिखित औपचारिकताओं का अनुपालन किया जाएगा:

3) i) शाखा में उपलब्ध दावा प्रपत्र - ओजी-99 में सभी जानकारी, कोई भी कॉलम रिक्त छोड़े बिना भरनी होगी।

ii) दावा प्रपत्र (ओजी-99) के साथ निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करने होंगे:

(ए) सक्षम प्राधिकारी जैसे, ग्राम प्रमुख, निगम/नगर पालिका/पंचायत या इस प्रकर के अन्य सरकारी निकाय, चर्च का पादरी, सरकारी अस्पताल आदि द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाणपत्र।

(बी) सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या राजस्व प्राधिकारी जिनका पद तहसीलदार के पद से कम न हो द्वारा जारी किया गया विधिक उत्तराधिकार/उत्तरजीविता प्रमाणपत्र या सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से जारी किया वसीयत, जो भी लागू हो।

(सी) पासबुक, सावधि जमा रसीद, लॉकर की चाबी।

(डी) बैंक को ज्ञात दो सम्माननीय एवं जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा घोषणा/प्रमाणपत्र।